

3/यो0स०क०-22/2022

60

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2026-27)

प्रेषक,

सुशील कुमार,
संयुक्त सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 09-06-2026

विषय:-

सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित विभिन्न प्रकार के कुल छः पेंशन योजनाओं में पेंशनधारियों को ससमय पेंशन भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि (8000) से राज्यांश एवं राज्य योजना मद में प्राप्त कुल रू० 366209.97 लाख (तीन हजार छः सौ बासठ करोड नौ लाख सनतानवे हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के जापांक 5725 दिनांक 27.11.2017 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, मृत्यु अनुदान योजनाओं, विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना एवं अन्य सामाजिक सहायता योजनाओं का संचालन, मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना के अधीन कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के निर्णय अनुसार संचालित सभी छः पेंशन योजनाओं में पेंशन की राशि माह जून 2025 से रू० 400/- एवं रू० 500/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रू० 1100/- प्रतिमाह किया गया है। इस क्रम में इन पेंशन योजनाओं के लाभुकों को प्रत्येक माह के 10 तारीख को पेंशन की राशि के भुगतान हेतु राज्य मंत्रिपरिषद के निर्णय के आलोक में बिहार आकस्मिकता निधि से राज्यांश एवं राज्य योजना मद में प्राप्त कुल रू० 366209.97 लाख (तीन हजार छः सौ बासठ करोड नौ लाख सनतानवे हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

(राशि रू. लाख में)

| क्र० | योजना का नाम | विपत्र कोड | विषय शीर्ष | स्वीकृत राशि |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| राज्यांश मद | | | | |
| 1 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - सामान्य घटक | (51-2235031010201) | 0201. 13.01,31.06 | 60880.65 |
| 2 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - विशेष घटक | (51-2235037890201) | 0201. 13.01,31.06 | 20311.92 |
| 3 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - जनजातीय क्षेत्र उप योजना | (51-2235037960203) | 0203. 13.01,31.06 | 1187.70 |
| 4 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना - सामान्य घटक | (51-2235031010203) | 0203. 13.01,31.06 | 12068.72 |
| 5 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना - विशेष घटक | (51-2235037890202) | 0202. 13.01,31.06 | 3793.48 |
| 6 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना - सामान्य घटक | (51-2235031010202) | 0202. 13.01, 31.06 | 2127.25 |
| 7 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना - विशेष घटक | (51-2235037890203) | 0203. 13.01,31.06 | 558.89 |
| उप योग - 1 (एक हजार नौ करोड अठ्ठाइस लाख एकसठ हजार) | | | | 100928.61 |

| राज्य स्कीम मद | | | | |
|--|---|--------------------|------------------|-----------|
| 8 | लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना – सामान्य घटक | (51-2235601020105) | 0105.31.06 | 25702.47 |
| 9 | लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना – विशेष घटक | (51-2235607890102) | 0102.31.06 | 5970.87 |
| 10 | बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना – सामान्य घटक | (51-2235601020104) | 0104.31.06 | 27893.85 |
| 11 | बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना – विशेष घटक | (51-2235607890103) | 0103.31.06 | 6552.24 |
| 12 | मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना – सामान्य घटक | (51-2235021040109) | 0109.13.01,31.06 | 167898.24 |
| 13 | मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना – विशेष घटक | (51-2235027890114) | 0114.31.06 | 26997.90 |
| 14 | मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना – जनजातीय क्षेत्र उप योजना | (51-2235027960125) | 0125.31.06 | 4265.79 |
| उप योग – 2 (दो हजार छः सौ बावन करोड एकासी लाख छत्तीस हजार) | | | | 265281.36 |
| कुल योग 1+2 : (रू० तीन हजार छः सौ बासठ करोड नौ लाख सनतानवे हजार) | | | | 366209.97 |

- एस०एन०ए० स्पर्श माड्यूल के तहत संचालित किये जाने वाले केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए वित्त विभाग के पत्रांक 410 दिनांक 12.06.20.25 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्यांश मद की राशि को संगत केन्द्रांश मद हेतु कर्णांकित विपत्र कोड में उपबंधित किया गया है।
- स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला स्तर पर सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।
- उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक – 12888/वि० दिनांक-03.12.2024, 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि० दिनांक 25.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।
- स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो०स०क०-22/2022 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या -31/टि० पर दिनांक 09.06.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो०स०क०-22/2022 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या- 31/टि० पर दिनांक- 09.06.2026 को अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
- यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन



संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-22/2022

60

/...../दिनांक- 09-06-2026

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सक्षम/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Tonghu
09/06/26

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-22/2022

60

/...../दिनांक- 09-06-2026

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Tonghu
09/06/26

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-22/2022

60

/...../दिनांक- 09-06-2026

प्रतिलिपि -विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ। स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Tonghu
09/06/26

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।